न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार गोयल आर.ए.एस

मु0नं0 169/2000 किस्म मुकदमा दावा 53,188, आर.टी.एक्ट ता0रजू 13.11.2000 तारीख फैसला 6/12/16

उनवान

1 रामजीलाल पुत्र चतरू उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा करौली तहसील व जिला करौली –मृतक

1/1 गोविन्द
1/2 नरेश → पिसरान रामजीलाल
1/3 मनीष

1/4 दयावाई
1/5 पिंकी → पुत्रीया रामजीलाल
1/6 हेमलता

1/7 गीता देवी रामजीलाल

→ नावालिगान जरिये सरक्षक मॉ गीतादेवी बेवा रामजीलाल

सभी जातियान जाटव निवासीयान मुरलीपुरा तहसील व जिला करौली ––वादीगण

बनाम

1 मनोहरी पुत्र झामा उम्र 50 साल (मृतक)
1/1 रामपति वेवा मनोहरी उम्र 50 साल
1/2 शिवसिह पुत्र मनोहरी उम्र 28 साल
1/3 हेमा पुत्र मनोहरी उम्र 25 साल
1/4 ज्योति पुत्र मनोहरी उम्र 22 साल
1/5 अनूप पुत्र मनोहरी उम्र 18 साल

→ जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा तहसील व जिला करौली

2 हाबूरी पुत्री भौरया उम्र 40 साल
3 लौहरी वेवा भौरया उम्र 70 साल

जिला करौली –मृतक

1/1 गोविन्द
1/2 नरेश → पिसरान रामजीलाल
1/3 मनीष

1/4 दयावाई
1/5 पिंकी → पुत्रीया रामजीलाल
1/6 हेमलता

1/7 गीता देवी रामजीलाल

→ नावालिगान जरिये सरक्षक
मॉ गीतादेवी बेवा रामजीलाल

सभी जातियान जाटव निवासीयान मुरलीपुरा तहसील व जिला करौली ––वादीगण

बनाम

1 मनोहरी पुत्र झामा उम्र 50 साल (मृतक)
1/1 रामपति वेवा मनोहरी उम्र 50 साल
1/2 शिवसिह पुत्र मनोहरी उम्र 28 साल
1/3 हेमा पुत्र मनोहरी उम्र 25 साल
1/4 ज्योति पुत्र मनोहरी उम्र 22 साल
1/5 अनूप पुत्र मनोहरी उम्र 18 साल

→ जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा
तहसील व जिला करौली

2 हाबूरी पुत्री भौरया उम्र 40 साल
3 लौहरी वेवा भौरया उम्र 70 साल
4 प्रीतम उम्र 30 साल
5 जगमोहन उम्र 25 साल → पुत्रान चिरंजी
6 अशोक उम्र 20 साल
7 सुआवाई वेवा चिरंजी उम्र 50 साल

→ जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा
तहसील व जिला करौली

8 सन्तुर पु. प्रताप उम्र 70 साल जाति सिधीवाल निवासी मुरलीपुरा करोली तहसील व जिला करौली

9 लेण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

10रामस्वरूप पुत्र गिरव जाति जाटव निवासी चग्गी खाना करौली

11 पुरसोतम पुत्र गंगाधर जाति जाटव निवासी गणेश गेट करौली

12 रामखिलाडी पुत्र पिल्लूराम जाति जाटव निवासी वग्गीखाना तहसील व जिला करौली

––प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया हे कि वादी व प्रतिवा नम्बर 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बरर 7296 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली मे स्थित है जो वादी के पिता चतरू के समय की है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/6 हिस्सा है और प्रतिवादीनम्बर 2 ता 3 का 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा है। और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 सयुक्त रूप से आराजी पर काबिज हैं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने दिनांक 2.11.2000 को आराजी को विक्रय करने की ऐलानिया कहा है जबकि आाजी का आज तक बाहमी व विधिक बटबारा नही हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को आराजी का बिना वटवारा कराये रहन व्य करने का कानूनी अधिकार नही है वादी के वटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 साफ इन्कार है और आमाद फिसाद है तब वादी ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है वादी अपने 1/4 हिस्सा का वटबारा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद काने का अधिकारी है। अन्त मे वादी ने दाव वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी नमबर 1 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के अभिवचनो को अस्वीकार कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 7296 का कस्वा करोली मे होना सही है व किया इवारत गलत है स्वीकार नही है विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की नही है वादी का भूमि मे 1/4 हिस्सा नही है ना ही प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा है नही प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/6 हिसा है बल्कि उक्त आराजी मे प्रतिवादी नम्ब 10 ता 12 का 1/4 हिस्सा हक व खातेदारी व कब्जे काश्त की है प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के पिता पति चिरंजी से जरिये बयनामा दिनांक 18.9.1984 को खरीद किया है।

खरीद दिनांक से आज तक उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 का कब्जा चला आ रहा हैं और आराजी मे प्रतिवादीगण के मकान भी बने हुये है जिस पर करीब 28 वर्ष से कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है प्रतिवादीगण ने दिनांक 2.11.2002 को उक्त भूमि को विक्रय कने की कोई धमकी नही दी गई है। मौके पर भूमि आवादी भूमि है निर्माण शुद्वा भूमि है वादी द्वारा न्यायालय मे गलत दावा पेश किया गया है न्यायालय को दावा सुनने

निर्णय दिनांक

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवा नम्बर 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बरर 7296 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली ने स्थित है जो वादी के पिता चतरू के समय की है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा है व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/6 हिस्सा है और प्रतिवादीनम्बर 2 ता 3 का 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा है। और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 सयुक्त रूप से आराजी पर काबिज हैं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने दिनांक 2.11.2000 को आराजी को विक्रय करने की ऐलानिया कहा है जबकि आाजी का आज तक बाहमी व विधिक बटबारा नही हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को आराजी का बिना वटवारा कराये रहन व्य करने का कानूनी अधिकार नही है वादी के वटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 साफ इन्कार है और आमाद फिसाद है तब वादी ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है वादी अपने 1/4 हिस्सा का वटबारा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद काने का अधिकारी है। अन्त मे वादी ने दाव वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नमबर 1 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के अभिवचनो को अस्वीकार कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 7296 का कस्वा करोली मे होना सही है व किया इवारत गलत है स्वीकार नही है विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की नही है वादी का भूमि मे 1/4 हिस्सा नही है ना ही प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा है नही प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/6 हिसा है बल्कि उक्त आराजी मे प्रतिवादी नम्ब 10 ता 12 का 1/4 हिस्सा हक व खातेदारी व कब्जे काश्त की है प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के पिता पति चिरंजी से जरिये बयनामा दिनांक 18.9.1984 को खरीद किया है।

खरीद दिनांक से आज तक उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 का कब्जा चला आ रहा हैं और आराजी मे प्रतिवादीगण के मकान भी बने हुये है जिस पर करीब 28 वर्ष से कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है प्रतिवादीगण ने दिनांक 2.11.2002 को उक्त भूमि को विक्रय कने की कोई धमकी नही दी गई है। मौके पर भूमि आवादी भूमि है निर्माण शुद्वा भूमि है वादी द्वारा न्यायालय मे गलत दावा पेश किया गया है न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नही वादी का अराजी मे कोई हक हिस्सा नही वादी 1/4 हिस्सा का वटवारा कराने का अधिकारी नही वादी प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 को पाबन्द करावे का भी अधिकारी नही है वादी ने भौरया के वारिसान वा शिवलाल पुत्र किशनलाल के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है अन्त मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचना के आधार पर निम्न विवाधक कायम किये गये।

1 आया विवादित आराज खसरा नम्बर 7296 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा कस्वा करौली वादी व प्रतिवादी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा हैं वादी अपने हिस्से का वटवारा कराने का अधिकारी है। ——वादी

2 आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 7296 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा कस्वा करौली वादी के 1/4 हिस्से खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है।
——वादी

3 आया दावा वादी न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही है।
——प्रतिवादीगण

4 अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादी पीडब्लू गीतादेवी व गवाह पीडब्लू 2 प्रीतम के सशपथ ब्यान लेख वद कराये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्बत 2056 से 59 प्रदर्श–1 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराई है साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादीण नम्बर 10 ता 12 के दिनांक 5.12.2014 को उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी का बहस मे कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7296 कस्वा करौली वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे से प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 द्वारा 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय कर दी है एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के पिता ने अपने 1/4 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 को विक्रय क दी है उक्त आराजी मे प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/6 है एवं प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का अब 1/6 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/6 हिस्सा है। वादी ने अपने वाद पत्र क समर्थन मे नकल जमावदी सम्बत 2056 से 59 प्रदर्श – 1 प्रस्तुत की है जिसमे वादी का उक्त भूमि मे 1/4 हिस्सा दर्ज हैं आरै अपने 1/4 हिस्सा पर कब्जा के सम्बन्ध मे स्वय का सशपथ पत्र पेश किया है एव गवाह पीडब्लू प्रीतम का सशपथ ब्यान कराया है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है वादी अपने 1/4 हिस्सा का वटवारा कराने का एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द काने का हकदार है अन्त दावा वादी डिक्री किया जाने का कथन किया है।

वहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली प प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श–1 व मौखिक साक्ष्य वादी का विवेचन किया गया । चूकि प्रकरण मे प्रतिवादीगण के वियद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। इसलिए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्बत 2056 से 59 प्रदर्श –1 प्रस्तुत की है जिसमे वादी का खसरा नमब 7296 मे 1/4 हिस्सा का अंकन है कब्जे के सम्बन्ध मे वादी ने अपना व गवाह प्रीतम का सशपथ ब्यान कराया है जिससे विवादित भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा होना व भूमि पर कब्जा व खातेदारी मे दर्ज होना सावित है ऐसी स्थिति मे वादी अपने 1/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण से वटवारा कराने का हकदार है और दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 7296 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली के अपने 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी गण से वटवारा कराने का अधिकारी है। तहसीलदार करौली को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वह उक्त आराजी के वादी के 1/4 हिस्सा का प्रतिवादी नमबर 1 ता 8 व 10 ता 12 से वटवारा कराकर वटवारा प्रस्ताव दो प्रतियो मे न्यायालय मे भिजवावे । फीस कमिश्नर वादी अदा करेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/16 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
करौली